फार्म

अचल संपत्ति विवरिणका वर्ष 2013

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष.....

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम रमेश चन्द्र शर्मा
2. वर्तमान पद लाइन मेन 3. कार्यालय का नाम 220 के.वी. उपकेन्द्र रतलाम
4. वर्तमान वेतन 18300/- 5. भविष्य निधि कमांक 14068902 6. कर्मचारी संख्या 84521821

111

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका मण्डल अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा, ***पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा।	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
प्रताप नगर रतलाम ब्राह्मण खेड़ी का रहवासी गीता - उज्जैन	आवास गृह		6 लाख	स्वयं के नाम	पूर्व. डॉ. एम.एल. लोकेन्द्र द्वारा पट्टाकृत	कुछ नहीं	
		13 बीघा	26 लाख अनुमानित	स्वयं के नाम	विरासत में श्री भगवतीलाल जी	1 लाख	
— do —		10 बीघा	20 लाख अनुमानित	बालाराम शर्मा (पुत्र)	विरासत में श्री भगवतीलाल जी	75 हजार	

हस्ताक्षर R. C. Sharma

नाम रमेश चन्द्र शर्मा

पद लाइन मेन

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही–सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी –

मण्डल द्वारा ग्राह्य म.प्र.शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देवें।